न्यायालय न्यायनियर्णन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी — श्री मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 73/2023

श्री महेन्द्र सिंह मेहनतकश, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।

बनाम

1. श्री रमेश सैनी पुत्र श्री प्रदीप कुमार सैनी, मैसर्स आकाश सैनी मिल्क पार्लर बिड़दीचन्द के कुए के पास, वार्ड नम्बर 53, राणी सती मन्दिर के पास, जिला झुन्झुनू।
2. मैसर्स बालाजी आईस एण्ड चिलिंग सेन्टर, ग्राम अजीतपुरा, पटवार हल्का जेरठी, तहसील धोद, जिला सीकर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011

उपस्थितिः–
1. आवेदक की ओर से ....आवेदक स्वयं।
2. अनावेदक संख्या 1 की ओर से ....अनावेदक स्वयं।
3. अनावेदक संख्या 2 की ओर से ....अनावेदक स्वयं।

–निर्णय– **दिनांक : 29.09.2023**

श्री महेन्द्र सिंह मेहनतकश, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू ने एक प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो सक्षेंप में निम्न प्रकार हैः– कि आवेदक श्री महेन्द्र सिंह मेहनतकश, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू में कार्यरत है। आवेदक को राज्य सरकार द्वारा बतौर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला झुन्झुनू का समस्त क्षेत्र आंवटित हुआ है। आवेदक द्वारा अपना कर्तव्य पालन करते हुए दिनांक 15.06.2023 को मैसर्स आकाश सैनी मिल्क पार्लर बिड़दीचन्द के कुए के पास वार्ड नम्बर 53, राणी सती मन्दिर के पास, जिला झुन्झुनू का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण दुकान पर अनावेदक श्री रमेश सैनी पुत्र प्रदीप कुमार सैनी उपस्थित मिला जिसने स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया। जिस पर अनावेदक से खाद्य पदार्थ

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू

लाइसेंस दिखाने के लिए कहा गया तो अनोवदक ने खाद्य सुरक्षा लाईसेंस होना जाहिर किया।

निरीक्षण के दौरान विक्रेता की दुकान पर करीब 35 से 36 मूल पैक X 470 ग्राम Pasteursed Double Tond Milk(Ujjawal)आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य प्रदार्थ Pasteursed Double Tond Milk(Ujjawal)में से सैम्पल लिया गया। सैम्पल को जांच हेतु भिजवाया जाने की प्रक्रिया पूरी कर सैम्पलों पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर अनावेदक व गवाहन को पढकर सुनाया तथा समझाया जाकर फर्द पर अनावेदक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद पैक सैम्पल को खाद्य विश्लेषक जयपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ Pasteursed Double Tond Milk(Ujjawal) सब–स्टैण्डर्ड फूड (Sub-standard Food) पाया जाने के कारण प्रार्थना पत्र तैयार कर सैम्पल लेते समय की गई समस्त कार्यवाही के दस्तावेज तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न कर प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदक को प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि सहित तलबी जारी की गई। जिस पर अनावेदकगण ने स्वयं उपस्थित होकर अपना लिखित जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रार्थना पत्र में बहस अन्तिम सुनी गई।

अनावेदक/अभियुक्त संख्या 1 का कथन है कि उसकी आकाश सैनी मिल्क पार्लर बिड़दीचन्द के कुए के पास वार्ड नम्बर 53, राणी सती मन्दिर के पास, जिला झुन्झुनू के नाम से दुकान है जहां Pasteursed Double Tond Milk(Ujjawal)का बेचान करता है। उसकी दुकान से खाद्य पदार्थ Pasteursed Double Tond Milk(Ujjawal)का सैम्पल लिया गया था जो कि सब–स्टैण्डर्ड फूड (Sub-standard Food) पाया गया है। अनावेदक ने लिखित जबाब पेश कर निवेदन किया कि उसने उक्त खाद्य पदार्थ अनावेदक संख्या 2 मैसर्स बालाजी आईस एण्ड चिलिंग सेन्टर अजीतपुरा, तहसील धोद

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

जिला सीकर से जरिये पक्के बिल खरीदा था। अतः खाद्य पदार्थ के सब–स्टेण्डर्ड होने की जिम्मेदारी अनोवदक संख्या 2 की ळें अतः मेरे विरूद्ध प्रकरण ड्रॉप किया जाये।

अनावेदक/अभियुक्त संख्या 2 की ओर से प्रोपराईटर श्री हंसराज पुत्र हनुमान सहाय ने कथन किया कि अनावेदक संख्या 1 की दुकान से लिया गया सैम्पल का खाद्य पदार्थ अनावेदक संख्या 1 ने उसकी फर्म बालाजी आईस एण्ड चिलिंग सेन्टर से जरिये पक्के बिल खरीदा था जो कि सब–स्टेण्डर्ड पाया गया है। खाद्य पदार्थ के सब–स्टेण्डर्ड पाये जाने पर सारी जिम्मेदारी उसकी है। अतः उसके विरूद्ध कम से कम जुर्माना लगाया जाये।

मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 **एल.एस./2461/एक्ट/2023/2500 दिनांक 28.06.2023** के अनुसार खाद्य पदार्थ Pasteursed Double Tond Milk(Ujjawal) सब–स्टैण्डर्ड फूड (Sub-standard Food) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) के उल्लंघन में आता है। अनावेदक संख्या 1 ने अनावेदक संख्या 2 से खाद्य पदार्थ खरीदने का पक्का बिल प्रस्तुत किया है। लेकिन अनावेदक संख्या 1 अनावेदक संख्या 2 के लाभांश में हिस्सेदार है अतः खाद्य पदार्थ के सब–स्टेण्डर्ड पाये जाने पर उसे निर्दोष नही माना जा सकता है। अतः अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ Pasteursed Double Tond Milk(Ujjawal) सब–स्टैण्डर्ड फूड (Sub-standard Food) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थतियों को देखते हुये अनावेदक संख्या 1 श्री रमेश सैनी पुत्र श्री प्रदीप कुमार सैनी, मैसर्स आकाश मिल्क पार्लर, बिड़दीचन्द के कुए के पास, वार्ड नम्बर 53, राणी सती मन्दिर के पास झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) को दोषी मानकर प्रकरण में 10,000/– दस हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है।

न्यायनिर्णयन अधिकारी
झुन्झुनू

चूंकि प्रकरण में अनावेदक संख्या 1 ने अनावेदक संख्या 2 से खाद्य पदार्थ जरिये पक्के बिल खरीदा था तथा अनावेदक संख्या 2 स्वयं अपनी फर्म मैसर्स बालाजी आईस एण्ड चिलिंग सेन्टर, ग्राम अजीतपुरा तहसील धोद जिला सीकर में खाद्य पदार्थ Pasteursed Double Tond Milk(Ujjawal) का बेचान करता है तथा स्वयं फर्म है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ Pasteursed Double Tond Milk(Ujjawal) सब–स्टैण्डर्ड फूड (Sub-standard Food) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक फर्म मैसर्स बालाजी आईस एण्ड चिलिंग सेन्टर, ग्राम अजीतपुरा तहसील धोद जिला सीकर को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) को दोषी मानकर प्रकरण में 20,000/– बीस हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। अनावेदकगण उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू